ज्ञापांक 71 /एस॰ सी॰ एस॰ टी॰
205/2007
अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची ।
राँची, दिनांक :- 2 11/08

सेवा में,

श्री एस॰ पी॰ मीणा,
सहायक निदेशक,
राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग,
भारत सरकार
छठी मंजिल बी॰ विंग, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003.

प्रसंग :- आपका ज्ञापांक सं0 झारखण्ड 05/अत्याचार-07/आर॰यू 5 दिनांक-31.10.2007.

विषय :- आदिवासी युवक को धनबाद थाना काण्ड सं0 382/20 के अभियुक्तगण एवं अन्य के द्वारा जान मारने की धमकी श्री दुलाल मुण झरिया जिला धनबाद के आवेदन पत्र पर कार्रवाई की जाने के संबंध में

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संदर्भ में कहना है कि श्री दु ल मुण्डा पे. बिरसा मुण्डा थाना झरिया जिला धनबाद का आवेदन पत्र जाँच हे प्राप्त हुआ जिसमें परिवादी के आवेदन पत्र में उन्होंने धनबाद थाना काण्ड सं0 82/2007 के अभियुक्त अब्दूल हमीद, मो॰ जलालुद्दीन एवं दो अज्ञात ने अवैध रूप इनके घर में प्रवेश कर गाली गलौज, मारपीट एवं रंगदारी से रूपया मांगने एवं न जाति संबोधित करने तथा रूपया की कर्ज खोरी के आरोप लगाये हैं ।

उक्त आवेदन पत्र की जाँच पुलिस अधीक्षक, धनबाद से कर यी पर्यवेक्षण अनुसंधान के क्रम में काण्ड के प्राथमिकी अभियुक्त को धारा-448/32 387/506 भा॰ द॰ वि॰ एवं 3(1)(x) अनु॰ जाति, जन जाति अत्या॰ निवा॰ अधि म के अन्तर्गत नामजद दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध सत्य पाया गया है । तथा प्रा की अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी की जा रही है । अभियु के फिरारी रहने की स्थिति में जप्ती कुर्की की कार्रवाई की जा रही है ।

इस प्रकार पुलिस अधीक्षक धनबाद द्वारा इस काण्ड में र दिशा में कार्रवाई की जा रही है ।

अतः सूचनार्थ प्रेषित ।

अपर पुलिस महानि क,
अपराध अनुसंधान विभा झारखण्ड,
राँची ।